

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएस



प्रकरण सं० : 202/2019

अनवान :

1. सुरेश कुमार पुत्र रूलीचन्द पौत्र देईराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रूलीचन्द पुत्र देईराम जाति जाट बैनीवाल निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भागवन्ती पुत्री रूलीचन्द पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा हाल कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज०काश्त०अधि० 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : वादी

वकील श्री प्रभुराम गोदारा : प्रतिवादी सं० 1 व 2

निर्णय

दिनांक : 29/01/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि चक 5 सीएचएन के खाता सं० 48/43 के प०नं० 0 के मु०नं. 28 के किला नं० 3 ता 7, 14, 15 व 17 की 2.0240 है० नहरी मय गैर मु० रास्ता मु०नं० 51 के किला नं० 7, 8 13 ता 18, 23 व 24 की 2.5300 है० नहरी मय खाला इस खाता की कुल 4.5540 है० व चक 4 सीएचएन के खाता सं० 37/36 के प०नं. 0 के मु०नं० 10 के किला नं० 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.2250 है० नहरी मय रास्ता व खाला मु०नं० 11 के किला नं० 15 ता 17, 23 ता 25 की 0.8860 है० मु०नं० 12 के किला नं० 16 की 0.0630 है० मु०नं० 13 के किला नं० 3 ता 9, 11 ता 25 की 5.1860 है० मु०नं० 14 के किला नं० 1 ता 14, 17 ता 24 की 5.5660 है० नहरी इस खाता की कुल 14.9260 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि व चक 6 सीएचएन के खाता सं० 41/40 के प०नं. 0 के मु०नं० 14 के किला नं० 19 ता 22 की 1.0120 है० नहरी, मु०नं० 15 के किला नं० 16 ता 18, 23 ता 25 की 1.5180 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि मु०नं० 16 के किला नं० 1, 2 10, 11 की 1.0120 है० इस प्रकार इस खाता की कुल 3.5420 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 रूलीचन्द के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद भूमि दादालाई व संयुक्त परिवार की संयुक्त व पुश्तैनी पैतृक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि

४७

अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 सीएचएन के खाता सं० 48/43 के प०नं० 0 के मु०नं. 28 के किला नं० 3 ता 7, 14, 15 व 17 की 2.0240 है० नहरी मय गैर मु० रास्ता मु०नं० 51 के किला नं० 7, 8 13 ता 18, 23 व 24 की 2.5300 है० नहरी मय खाला इस खाता की कुल 4.5540 है० व चक 4 सीएचएन के खाता सं० 37/36 के प.नं. 0 के मु०नं० 10 के किला नं० 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.2250 है० नहरी मय रास्ता व खाला मु०नं० 11 के किला नं० 15 ता 17, 23 ता 25 की 0.8860 है० मु०नं० 12 के किला नं० 16 की 0.0630 है० मु०नं० 13 के किला नं० 3 ता 9, 11 ता 25 की 5.1860 है० मु०नं० 14 के किला नं० 1 ता 14, 17 ता 24 की 5.5660 है० नहरी इस खाता की कुल 14.9260 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि व चक 6 सीएचएन के खाता सं० 41/40 के प.नं. 0 के मु०नं० 14 के किला नं० 19 ता 22 की 1.0120 है० नहरी, मु०नं० 15 के किला नं० 16 ता 18, 23 ता 25 की 1.5180 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि मु०नं० 16 के किला नं० 1, 2 10, 11 की 1.0120 है० इस प्रकार इस खाता की कुल 3.5420 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 रूलीचन्द के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 रूलीचन्द के बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मुकेश बारैठ)  
उपखण्डाधिकारी (S.नृत्य)  
उपखण्डाधिकारी (S.नृत्य)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री मुकेश बारैठ आरएस

प्रकरण सं० : 202/2019

अनवान :

1. सुरेश कुमार पुत्र रूलीचन्द पौत्र देईराम जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- वादी

बनाम

1. रूलीचन्द पुत्र देईराम जाति जाट बैनीवाल निवासी छानीबडी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. भागवन्ती पुत्री रूलीचन्द पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी छानीबडी तहसील भादरा हाल कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राज०
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा व वकील प्रतिवादीगण सं० 1 व 2 श्री प्रभुराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 5 सीएचएन के खाता सं० 48/43 के प०नं० 0 के मु०नं० 28 के किला नं० 3 ता 7, 14, 15 व 17 की 2.0240 है० नहरी मय गैर मु० रास्ता मु०नं० 51 के किला नं० 7, 8 13 ता 18, 23 व 24 की 2.5300 है० नहरी मय खाला इस खाता की कुल 4.5540 है० व चक 4 सीएचएन के खाता सं० 37/36 के प०नं० 0 के मु०नं० 10 के किला नं० 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 23 की 3.2250 है० नहरी मय रास्ता व खाला मु०नं० 11 के किला नं० 15 ता 17, 23 ता 25 की 0.8860 है० मु०नं० 12 के किला नं० 16 की 0.0630 है० मु०नं० 13 के किला नं० 3 ता 9, 11 ता 25 की 5.1860 है० मु०नं० 14 के किला नं० 1 ता 14, 17 ता 24 की 5.5660 है० नहरी इस खाता की कुल 14.9260 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि व चक 6 सीएचएन के खाता सं० 41/40 के प०नं० 0 के मु०नं० 14 के किला नं० 19 ता 22 की 1.0120 है० नहरी, मु०नं० 15 के किला नं० 16 ता 18, 23 ता 25 की 1.5180 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि मु०नं० 16 के किला नं० 1, 2 10, 11 की 1.0120 है० इस प्रकार इस खाता की कुल 3.5420 है० नहरी मय रास्ता व खाला की कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1 रूलीचन्द के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी सं० 1 रूलीचन्द के बजाय वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादी सं० 1 व 2 तीनों के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



मुकेश बारैठ  
उपखण्डाधिकारी  
भादरा, जिला हनुमानगढ़

